मानचित्र जमा योजना

स्वतः स्वीकृति(300sqm तक)एकल आवासीय

योजनागत्–

1. 300sqm तक के मानचित्र स्वतः स्वीकृति काउण्टर से जमा वाले दिन स्वीकृत किये जाते है।
2. सलंग्नको की जांच (काउण्टर पर तैनात लिपिक द्वारा की जाती है।)
   - भू–स्वामित्व (मानचित्र जमा करने वाले के नाम भू–स्वामित्व का प्रमाण/रजिस्ट्री)
   - लेबर सेस का गणना प्रपत्र
   - शुल्कों की जांच
   - वास्तुविद के लाइसेंस की वैधता की जांच
   - शपथपत्रों की जांच
   - आवेदन के पत्र की जांच
   - यदि मानचित्र के कुछ भाग निर्मित है तो उसके वैधता प्रपत्र एंव नामान्तरण की जांच
3. मानचित्र की तकनीकी जांच (उक्त जांच अवर अभियन्ता द्वारा की जाती है।)
   - एफ. ए. आर. की जांच
   - भू–आच्छादन की जांच
   - सेट बैक नियमानुसार (ले–आउट के अनुसार)
   - भवन के ऊंचाई की जांच
   - तलो के क्षेत्रफल की जांच
   - भवन उपविधि में प्राविधानित विशिष्टियों की जांच

महायोजना के अनुसार नियोजित विकास के उद्देश्य हेतु प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति हेतु।

मानचित्र जमा

योजनान्तर्गत एवं गैर योजनागत एवं 300 वर्गमी0 से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय एवं व्यवसायिक एवं अन्य मानचित्र।

1. इस प्रकार के मानचित्रों हेतु अलग आवेदन फार्म सामान्य काउण्टर पर उपलब्ध है।
2. मानचित्र शुल्क क्षेत्रफल के आधार पर जांचोपरान्त जमा किया जाता है, बैक की रसीद की प्राप्ति उपरान्त कम्पयूटर आई0डी0 बना कर पोर्टल पर मानचित्र जमा किया जाता है।
3. काउण्टर पर जमा होने क उपरान्त मानचित्र को उसी दिन मानचित्र सेल को रिसीव करा दिया जाता है।
4. अधिशासी अभियन्ता द्वारा संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को मार्क कर दिया जाता है।
5. सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा संलग्न प्रपत्रों की जॉच की जाती है।
   - जिस भूखण्ड पर मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उससे सम्बन्धित स्वामित्व प्रपत्र है कि नही।
   - अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा स्थल की जॉच निम्नवत की जाती है:–
     – सम्मुख मार्ग की स्थिति
     – भूखण्ड का महायोजना क्षेत्रफल।
     – भूखण्ड का महायोजना में भू–प्रयोग।
     – भूखण्ड का सुरक्षा जोन, पुरात्व विभाग एवं हेरीटेज जोन एवं विमानपत्तन प्राधिकरण में स्थित है या नही ?

मानचित्र का तकनीकी परीक्षण

तकनीकी परीक्षण भवन उपविधि एवं महायोजना के अनुसार–
क्यो और कैसे किया जाता है ?

- नियोजित विकास, अवैध निर्माण के रोकथाम हेतु
- भवन उपविधि एवं समय–समय पर शासनादेशों के अनुपालनार्थ।
  – आवासीय एवं अन्य भवन जिसमें अग्निशमन की आपत्ति आवश्यक नही है, उन मानचित्रों का निस्तारण जॉचोपरान्त उपाध्यक्ष महोदय अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधायन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
  – तलपट मानचित्रों, समूह आवास एवं 15 मी0 से ऊॅचे (चार मंजिल) अथवा 500 वर्गमी0 से अधिक भू–आच्छादन जिसमें अग्निशमन और अन्य विभागों की अनापत्तियॉ वांछित है वे सभी प्रकरण उपविधि के प्रस्तर (3.1.3.3) के प्राविधान के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में तकनीकी समिति के समक्ष परीक्षणोपरान्त निस्तारण किये जाते है।

योजनान्तर्गत एवं गैर योजनागत आवासीय एवं व्यवसायिक एवं अन्य मानचित्र।

1. अर्जन विभाग
2. नजूल विभाग
3. ट्रस्ट विभाग
4. **सम्बन्धित तहसील लखनऊ।**
5. **नगर निगम विभाग**
6. **जलकल विभाग।**
7. **सुरक्षा जोन** (यदि भूखण्ड प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गतान्तर्गत स्थित है)।
8. **पुरातत्व विभाग** (यदि भूखण्ड प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गतान्तर्गत स्थित है)।
9. **हैरिटेज जोन** (यदि भूखण्ड प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गतान्तर्गत स्थित है)।
10. **अग्निशमन विभाग** (15 मी0 अथवा चार मंजिल से अधिक एवं विशिष्ट भवन)
11. **एस0पी0 यातायात** (मुख्य मार्गो पर प्रस्तावना होने पर)
12. **विमानपत्तन प्राधिकरण**
13. **सिंचाई विभाग** (यदि भूखण्ड सिचाई विभाग की भूमि से संलग्न है)
14. **लोक निर्माण विभाग/**
    राष्ट्रीय राज्यमार्ग (यदि उक्त मार्ग महायोजना न होने पर भूखण्ड के सम्मुख स्थित रोड के सम्बन्ध में)
15. **लखनऊ मेट्रो** (आवश्यकता होने पर)
16. **रेलवे विभाग** (आवश्यकता होने पर)
17. **सेना विभाग** (आवश्यकता होने पर)